FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला .....चूरू..... थाना.....प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष 2023.....
   प्र.इ.रि.सं. 185 / 2023..... दिनांक 13/7/2023.....
2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा...7.....
   (II) अधिनियम.....–..... धारा.....–.....
   (III) अधिनियम.....–..... धारा.....–.....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....781.....समय.....5:30 PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन.....12.07.2023..... समय 1.15 पीएम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....समय.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पश्चिम 65 किलोमीटर।
   (ब) पता:– नगर पालिका राजलदेसर जिला चूरू
   बीटसंख्या.....जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री रेवन्तराम प्रजापत
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :–
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय :– ....
   (ल) पता ... .वार्ड नं0 07 राजलदेसर जिला चूरू .....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री दीपक कुमार पुत्र रामकुमार सांखला जाति खटीक निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ हाल सामुदायिक संगटक(सीओ) डीएवाई–एनयूएलएम (दीन दयाल अन्तोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन भारत सरकार) नगर पालिका राजलदेसर जिला चूरू।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....10,000 रूपये .....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक
ACB चूरू।

विषयः– राजलदेसर नगरपालिका के DAY-NULM के CO दीपक सांखला को रिश्वत लेते हुसे पकडवाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मै जगदीश प्रसाद प्रजापत S/o रेवन्तराम प्रजापत निवासी वार्ड 7 राजलदेसर का निवासी हूँ मेरी पत्नी चन्दा देवी के नाम से विश्वकर्मा A.L.F. की फर्म है जिसके तहत हमने नगर पालिका में SHG. बनाने का कार्य पुरा किया हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2022–23 में 15+15 कुल 30 SHG. का कार्यादेश मिला था, जो हमने पुरा कर दिया, हमारे द्वारा बनाये गये समूह कि रिपोर्ट नगर पालिका में पेश कर दी गई. एवं उक्त कार्य का बिल भी नगर पालिका में फरवरी–2023 में जमा करवा दिया. लेकिन अभी तक हमारी फर्म द्वारा करवाये गये उक्त SHG.के कार्य का पेमेंट हमे मिला नही है, मैने कई बार नगरपालिका में जाकर मालुमात की तो कोई सन्तोषपुर्वक जबाब नही मिला. आज दिनांक 11.07.2023 को सुबह करीब 11.00 बजे मै फिर मेरे बिलो के सम्बध में मालुमात करने के लिए नगर पालिका राजलदेसर गया तो वहा पर मुझे CO दिपक सांखला मिले जिनसे मैने मेरे उक्त बकाया बिलों के बारे में मालुमात की तो दिपक जी ने कहा कि ऐसे तो आप कितने ही चक्कर लगाते रहो लेकिन बिलो को पास कराने का एक सिस्टम होता है तो मैने पुछा कि मुझे अब क्या करना होगा तो उन्होने कहा कि आप के करीब 1,80,000 का बिल है एक लाख अस्सी हजार के दस प्रसेन्ट के हिसाब से आप मुझे कमीशन दो तो मै एक दो दिन में बिल पास करवा दुंगा मैने कहा की दस प्रतिसत बहुत ज्यादा हो जायेगें तब उन्होने कहा कि आप दस हजार रूपयें मुझे दे देना मै अपने आप बिलो को सैट कराके पास करा दुंगा CO दीपक साखला मेरे जायज बिलो को पास करने के लिए मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग रहे है। मै उनको रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उनको रिश्वत लेते हुऐ पकडवाना चाहता हूँ मेरी दिपक जी से कोई रंजिस नही है। और ना ही दिपक जी से मेरा कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। अतः रिपोर्ट करता हूँ आवश्यक कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे.

दिनांक 11.07.2023

भवदीय
–:एसडी:–
जगदीश प्रसाद प्रजापत S/o
रेवन्तराम प्रजापत
वार्ड – 7 राजलदेसर (चूरू)
MO 8233077380
9602031929

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 11.07.2023 को मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार परिवादी जगदीश प्रसाद से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय कानि राकेश कुमार वाहन सरकारी व चालक प्रमोद पूनियां के चूरू से रवाना होकर राजलदेशर मुख्य हाई–वे पर स्टेडियम के पास पंहुचा जहां परिवादी जगदीश प्रसाद पुत्र रेवन्तराम प्रजापत निवासी वार्ड 07 राजलदेसर उपस्थित मिला। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक को पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग की वार्ता करने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि दीपक सांखला ने मुझे नगर पालिका में बुलाया है मै उससे जाकर वार्ता कर सकता हूँ। इस पर

परिवादी को टेप रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि समझाकर हमराह कानि राकेश कुमार से परिचय करवाकर मांग सत्यापन वार्ता हेतु नगर पालिका राजलदेसर रवाना किया गया।

वक्त 5.00 पीएम पर कानि राकेश कुमार व परिवादी जगदीश प्रसाद मन् उप अधीक्षक के पास वापिस आये। कानि राकेश कुमार ने टेप रिकॉर्डर पेश किया व परिवादी ने बताया कि मै व राकेश कुमार नगर पालिका राजलदेसर के पास पंहुचे जहां मै टेप रिकॉर्डर लेकर नगर पालिका में गया व दीपक सांखला सीओ से सम्पर्क कर मेरे बिल पास करवाने के बारे में वार्ता की तो दीपक सांखला ने कहा कि आप दस हजार रूपये दे दो आपका एक–दो दिन में बिल पास करवा दूंगा। मैने कहा कि आज मेरे पास चार हजार रूपये बने हैं ये लो बाकी कल दे दूंगा। तब दीपक जी ने कहा कि कल सारे साथ ही दे देना, हमारे बीच हुई वार्ता को मैने टेप में रिकॉर्ड किया हैं। कानि राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्ठि हुई। परिवादी ने कहा कि मै अभी आपके साथ नही चल सकता मेरे निजि कार्य है मै सुबह आपके कार्यालय मे आ जाउंगा। इस पर परिवादी को वांछित रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 12.07.2023 को एसीबी कार्यालय चूरू पंहुचने की हिदायत कर रूखस्त दी जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहियान के रवाना होकर चूरू पंहुचा। टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 12.07.2023 को परिवादी जगदीश प्रसाद प्रजापत हाजिर कार्यालय आया और बताया कि रिश्वती में दिये जाने वाले दस हजार रूपये साथ लेकर आया हूँ। परिवादी जगदीश प्रसाद प्रजापत व आरोपी श्री दीपक सांखला सीओ डे–एनयूएलएम नगर पालिका राजलदेसर जिला चूरू के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.07.2023 जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की डीवीडी तैयार करवायी जाकर डीवीडी को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A-1' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर उसके रैपर में डालकर रैपर सहित कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्ड शुदा मेमोरी कार्ड व सिल्ड डीविडी को जमा मालखाना करवाया गया।

वक्त 11.00 एएम पर पाबंद शुदा दो कर्मचारी श्री धर्मेन्द्र कुमार नर्सिग अधिकारी, श्री नरेश कुमार नर्सिग अधिकारी पं0 दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल कॉलेज चूरू हाजिर चोकी आये। आमदा कर्मचारियो को परिवादी के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों को परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत ने मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले दस हजार रूपये पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6HB 360316
2.	——— ———	2AE 045118
3.	——— ———	9EM 611311
4.	——— ———	0WC 268916
5.	——— ———	1MF 709106
6.	——— ———	5ET 706057
7.	——— ———	7FA 010859
8.	——— ———	0PU 409859
9.	——— ———	8DK 368143
10.	——— ———	8NG 926325
11.	——— ———	5EK 137535
12.	——— ———	8GH 090841
13.	——— ———	6CB 161892
14.	——— ———	3HQ 350639

15.	———— ————————	7GB 715265
16.	———— ————————	4AW 134993
17.	———— ————————	9QG 523942
18.	———— ————————	6HT 632841
19.	———— ————————	4CW 173584
20.	———— ————————	8NP 625088

उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी जगदीश प्रसाद प्रजापत की जामा तलाशी गवाह श्री धर्मेन्द्र कुमार से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि को परिवादी जगदीश प्रसाद प्रजापत के पहने लॉवर की दाहीनी जेब में श्री प्रवीण कुमार से रखवाई गई। परिवादी जगदीश प्रसाद को हिदायत की गई कि सदिग्ध द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् उप अधीक्षक को निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री प्रवीण कुमार के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफथ्लीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री प्रवीण कुमार के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। दृष्टान्त में प्रयुक्त काच के गिलास व चमच्च को कार्यालय में रखवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई। नये कांच के गिलास व नई चमच्च ट्रेप बॉक्स में रखे गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी जगदीश प्रसाद को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के टेप रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी के पास उनका मोबाईल उनके पास रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोफथ्लीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 11.40 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी जगदीश प्रसाद मय स्वतन्त्र गवाह श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री नरेश कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री ईशब अली उ.नि., गिरधारी सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजपाल सिंह, श्री राजकुमार, राकेश मीणा, बसन्त सिंह, दीपेश कुमार, श्रवण कुमार, कानिगण व श्री प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक सुरेन्द्र सिंह तथा प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूए 9251 मय चालक सुभाष चन्द्र, के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना राजलदेसर के लिए हुआ। श्री प्रवीण कुमार कानि 36 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

वक्त 12.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के राजलदेसर में नगर पालिका से पहले पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादी को पैदल–पैदल नगर पालिका की तरफ रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ आस–पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा वक्त 01.15 पीएम पर अपने मोबाईल से मिस कॉल करने पर मैं उप अधीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो के नगर पालिका राजलदेसर के मुख्य द्वार में प्रवेश कर सामने लेखाशाखा कक्ष के आगे बरामदे में पंहुचा जहां परिवादी जगदीश प्रसाद खडा मिला। परिवादी जगदीश प्रसाद से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया व परिवादी ने बताया कि मै नगर पालिका में इस कक्ष में

सबेर

आया तो दीपक जी बैठे थे, मैने अपने भुगतान बाबत वार्ता की तो दीपक जी खडे होकर मेरे साथ–साथ बाहर बरामदे में आये व कहा कि एक–दो दिन में भुगतान हो जायेगा तथा मेरे से कल की हुई वार्तानुसार खर्चा मांगा तो अपने लॉवर की जेब से 10 हजार रूपये निकाल कर दीपक जी को दिये जिन्होने मेरे से रूपये अपने दाहीने हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी पेंट की पीछे की जेब में रख लिये तथा वापस कमरे में चले गये तब मैने आपको ईशारा कर दिया। परिवादी को साथ लेकर कमरे मे प्रवेश किया तो सामने टेबल के पास परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम श्री दीपक कुमार सामुदायिक संगटक(सीओ) (डीएवाई–एनयूएलएम) दीन दयाल अन्तोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन भारत सरकार, नगर पालिका राजलदेसर जिला चूरू होना बताया। दीपक कुमार को परिवादी जगदीश प्रसाद से 10,000रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो दीपक कुमार चिल्लाने लगा तथा कहा कि साहब मेरी गल्ती हो गई मै इनको अभी वापस कर देता हूँ। आज–आज माफ कर दो, मेरा भविष्य खराब हो जायेगा। इस पर पुनः तसल्ली देकर पुछा तो दीपक कुमार ने परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया कि इसकी फर्म के स्वयं सहायता समूह बनाने पर इसके द्वारा प्रस्तुत 1.65 लाख रूपये के भुगतान कराने के लिए जगदीश ने मुझे दस हजार रूपये दिये हैं जो मेरी पेंट की पीछे की जेब में हैं। हाजिर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने बताया कि मेरी पत्नी के नाम फर्म के जरिये मैने नगर पालिका राजलदेसर के माध्यम से संचालित डे–एनयूएलएन के अन्तर्गत प्राप्त कार्यादेश की पालना में स्वयं सहायता समूह बनाकर माह फरवरी 2023 में भुगतान हेतु बिल नगर पालिका में पेश किये थे। जिनका भुगतान अभी तक हमारी फर्म को नही मिला हैं, इसके लिए मै कल दीपक जी से मिला तो इन्होने कहा कि ऐसे कितने ही दिन चक्कर काटते रहो पेमेंट नही होगा। मैने पूछा कैसे होगा तो दीपक जी ने कहा कि दस प्रसेन्ट मुझे खर्चा देना होगा आपका भुगतान दो दिन में करवा दुंगा। मैने कहा दस प्रसेन्ट ज्यादा है मै आपको दस हजार रूपये ही दे सकता हूँ तो दीपक जी ने कहा कि ठीक दस हजार रूपये दे देना आपका पेमेंट जल्दी करवा दूंगा। दीपक जी कल हुई वार्तानुसार आज मैने इनको नगर पालिका मे मांगने पर दस हजार रूपये रिश्वत के दिये हैं। दीपक कुमार के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी दीपक कुमार का दायां व बांया हाथ क्रमशः राजपाल सिंह व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम कांच के नये दो साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री दीपक कुमार सीओ के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R–1, R–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री दीपक कुमार सीओ के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L–1, L–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर गवाह नरेश कुमार ने आरोपी दीपक कुमार की पहनी जिन्स पेंट की पीछे की दाहीनी जेब की तलाशी ली तो पांच–पांच सौ रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटो को गिनकर गवाह ने 10,000रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वही पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी दीपक कुमार सीओ के लिए एक लॉवर (पाजामा) की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई जिन्स पेंट बरंग नीला को उतरवाकर उक्त पेंट के पीछे की दाहीनी जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P–1, P–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री

दीपक कुमार की उक्त पेंट बरंग नीला की जेब को सुखाकर कर उक्त पेंट को धागें में सील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क J अंकित कर पेन्ट पकैट का वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी दीपक कुमार से परिवादी जगदीश प्रसाद की फर्म के भुगतान के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी आलमारी से फर्म विश्वकर्मा एएलएफ राजलदेसर की पत्रावली निकाल कर पत्रावली देखकर बताया कि फर्म विश्वकर्मा एएलएफ राजलदेसर को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए वर्ष 2022–23 हेतु नगर पालिका राजलदेसर से कार्यादेश दिया गया था। उक्त कार्यादेश पर फर्म द्वारा 30 सहायता समूह बनाकर बैंक में खाते खुलवाकर दो बिल दिनांक 08.02.2023 को तथा एक बिल दिनांक 03.05.2023 को कार्यालय में पेश किये जो ईओ व लेखा शाखा कें श्री कैलाश चन्द द्वारा मुझे मार्क करने पर बिल मेरे पास प्राप्त हुऐ। उक्त फर्म के तीनों बिलो का कुल 1.65 लाख का भुगतान किया जाना था, परन्तु उक्त योजना में बजट नही आया था इसलिए फर्म को भुगतान नही किया जा सका। इस योजना में दिनांक 06 जून 2023 को दो लाख रूपये बजट प्राप्त हुआ हैं। बजट प्राप्त होने के पश्चात मैने दिनांक 15.06.2023 को नोटशीट पर अपनी टिप्पणी अंकित कर प्रभारी श्री अर्जुन सिंह को पेश की जिसने उसी दिन ईओ साहब को फायल पेश कर दी। ईओ श्री मोहम्मद असलम द्वारा लेखा शाखा को मार्क करने पर मैने पत्रावली लेखा शाखा के श्री कैलाश चन्द सहायक राजस्व निरीक्षक को दो बार दी तो कैलाश चन्द जी व मेरे प्रभारी श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि जगदीश प्रसाद से बात करले कुछ खर्चा करता है तो ही भुगतान करेगें नही तो भुगतान में विलम्ब करेंगें। इसलिए मैने पत्रावली अपनी आलमारी में रख दी और जगदीश प्रसाद से रूपयों के बारे में कैलाश चन्द व अर्जुन सिंह के कहे अनुसार बात की थी। आरोपी दीपक कुमार द्वारा उपरोक्त तथ्य हाजिर श्री कैलाश चन्द सहायक राजस्व निरीक्षक अति0 लेखा शाखा व श्री अर्जुन सिंह कैशियर के सामने बताने पर कैलाश चन्द से पूछा तो कैलाश चन्द ने बताया कि ईओ साहब से फाईल मार्क होने के बाद मेरे पास नही आई थी। श्री अर्जुन सिंह कैशियर ने पूछने पर बताया कि मै कैश कार्य के साथ इस योजना का प्रभारी भी हूँ। दीपक कुमार द्वारा दिनांक 15.06.2023 को नोटशीट पर टिप्पणी करने के बाद पत्रावली मेरे पास आई तो मैने उसकी टिप्पणी पर सहमति के हस्ताक्षर फाईल ईओ साहब को मार्क की थी। जिस पर ईओ साहब ने उसी दिन लेखा शाखा के नाम नोटशीट पर मार्किग कर मुझे दी थी। तत्पश्चात मैने पत्रावली कैलाश जी को दी तो कैलाश जी ने कहा कि एक बार पत्रावली आप अपने पास रखो बाद में देखेगें। तब मैने पत्रावली पर कोई कार्यवाही नही कर दीपक कुमार को अपने पास रखने के लिए दे दी थी। श्री कैलाश चन्द व अर्जुन सिंह दोनो ने कहा कि हमने दीपक कुमार को यह नही कहा था कि जगदीश प्रसाद से भुगतान करने के पेटे खर्चा लेना है वरना इसके पेमेंट में देरी करनी हैं। परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली का अवलोकन किया तो उक्त पत्रावली में दीपक कुमार द्वारा दिनांक 15.06.2023 को अपनी टिप्पणी कर अर्जुन सिंह प्रभारी से हस्ताक्षर करवाकर ईओ को प्रस्तुत की जिन्होने लेखाशाखा को मार्क कर पत्रावली वापस भिजवा दी। हाजिर श्री मौहम्मद असलम नायब तहसीलदार कार्यवाहक अधि0 अधिकारी नगर पालिका राजलदेसर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 15.06.2023 को मैने उक्त पत्रावली में भुगतान हेतु लेखा शाखा को मार्क कर पत्रावली वापस लेखा शाखा में भिजवा दी थी। मेरी स्वीकृति के बाद लेखा शाखा में कार्यरत श्री कैलाश चन्द सहायक राजस्व निरीक्षक व इस योजना के प्रभारी श्री अर्जुन सिंह कैशियर द्वारा फर्म को भुगतान की कार्यवाही करनी थी। लेखा शाखा से फर्म को भुगतान को भुगतान की कार्यवाही समय पर क्यों नही की गई यह मुझे ध्यान नही है तथा फर्म मालिक ने भी मुझे आकर नही बताया कि मेरा भुगतान नही हुआ हैं। इस पर हाजिर परिवादी जगदीश प्रसाद ने बताया कि मै इओ साहब से तो नही मिला था मेरा भुगतान अर्जुनसिंह, कैलाश चन्द व दीपक कुमार के द्वारा किया जाना था इसलिए मै इनसे ही मिलता रहा जो मेरे भुगतान के बारे में टालमटोल करते रहे। परिवादी के कार्य सम्बंधी पत्रावली की प्रमाणित प्रति जप्त कर मूल पत्रावली भुगतान हेतु श्री मौहम्मद असलम कार्यवाहक ईओ को सुपुर्द की गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई।

परिवादीगण व गवाहान के सामने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर आरोपी दीपक कुमार सीओ डे–एनयूएलएम नगर पालिका राजलदेसर को हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। वजह सबूत सील्ड

करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–19 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पीतल की सील को जरिये फर्द नष्ट किया गया। परिवादी को रूखस्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान व जाप्ता तथा गिरफ्तार मुल्जिम दीपक कुमार के तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त वजह सबूत हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से राजलदेसर से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत जरिये गिरधारी सिह प्रभारी मालखाना के जमा मालखाना कराये गये। दोनो गवाहान को रूखस्त दी गई। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत की पत्नी के नाम से विश्वकर्मा एरिया लेवल फैडरेशन नामक फर्म हैं। उक्त फर्म द्वारा दीन दयाल अन्तोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भारत सरकार के अन्तर्गत एसएचजी(स्वयं सहायता समूह) बनाने का कार्य कर बैंको में समूहों के खाते खुलवाने के कार्य का वर्ष 2022–23 का कार्यादेश उक्त फर्म को मिला जिसके तहत उक्त फर्म के द्वारा स्वयं सहायता समूह के खाते खुलवा कर उनका 1.65 लाख का बिल माह फरवरी व मई 2023 में नगर पालिका राजलदेसर में पेश किया था। उक्त भुगतान कराने की एवज में श्री दीपक कुमार सीओ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर मांग के अनुशरण में 10,000रूपये रिश्वत के दिनांक 12.07.2023 को नगर पालिका राजलदेसर स्थित अपने कार्यालय मे प्राप्त कर अपनी पेंट की पीछे की दाहीनी जेब में रख लिये, जिस पर दीपक कुमार सीओ को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी श्री दीपक कुमार सामुदायिक संगटक(सीओ) का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथासशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। नगर पालिका राजलदेसर की लेखा शाखा में पदस्थापित श्री कैलाश चन्द सहायक राजस्व निरीक्षक एवं उक्त योजना के प्रभारी श्री अर्जुन सिंह फायर मैन कम कैशियर की भूमिका भी उक्त प्रकरण में संदिग्ध रही है जो दौराने अन्वेषण स्पष्ट की जावेगी।

अतः श्री दीपक कुमार सामुदायिक संगटक(सीओ) डीएवाई–एनयूएलएम (दीन दयाल अन्तोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन भारत सरकार,) नगर पालिकाराजलदेसर जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रामकुमार सांखला, निवासी आडसर, तहसील श्रीडूंगरगढ हाल सामुदायिक संगटक (सीओ) डीएवाई- एनयूएलएम (दीन दयाल अन्तोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन भारत सरकार) नगर पालिका राजलदेसर जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 185/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2301-04 दिनांक 13.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर बीकानेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. प्रोपराईटर, कम्पनी (शक्ति कॉर्पोरेशन सोसायटी), जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।